कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर ।

क्रमांक : साबीनि / 2012 / दिनांक :

परिपत्र

विषयः राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के वर्ष 2012–13 के प्रीमियम के सम्बन्ध में ।

वित्त राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(72) वित्त / राजस्व / 94–पार्ट जयपुर दिनांक 10.04.2012 द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (01.05.2012 से 30.04.2013) के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि रू0 220/– + 12.36% सेवाशुल्क अप्रेल देय मई, 2012 के वेतन बिल से काटी जानी है ।

जिन कर्मचारियों की उक्त कटौती अप्रेल देय मई, 2012 के वेतन बिल से किसी कारणवश नहीं काटी गयी है, वे अपनी प्रीमियम राशि रू0 220/– + सेवा शुल्क 12.36%, चालान / बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को 10 मई तक जमा करा सकते हैं तथा मूल प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करके आहरण वितरण अधिकारी को प्रीमियम राशि के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है । आहरण वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नकद राशि का एक चालान / बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिले के उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग को आवश्यक रूप से 10.05.2012 तक भिजवाएंगे । चालान द्वारा जमा कराने की स्थिति में बजट मद निम्नानुसार होगा–

8011	–	बीमा तथा पेंशन निधि (इंश्योरेन्स एण्ड पेंशन फण्डस)
107	–	राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना
(01)	–	राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
(02)	–	घटाइये–राजस्व लेखों का अन्तरण

आहरण एवं वितरण अधिकारी चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा सम्बन्धित जिले के उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग कार्यालय को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से वर्ष 2012–13 के लिए मूल प्रस्ताव पत्र भरवा लिये गये हैं । प्रस्ताव पत्र प्रथम बार योजना के अन्तर्गत कटौती होने पर अथवा पूर्व प्रस्ताव भरने के उपरान्त स्थानान्तरण होने की अवस्था में ही भरना होगा । यदि कर्मचारी अपने मनोनीत व्यक्ति में परिवर्तन करना चाहता है तो निर्धारित प्रपत्र में संशोधित मनोनीत के नाम का प्रस्ताव कर सकता है । मनोनीत के अव्यस्क होने की स्थिति में संरक्षक का नाम अवश्य अंकित किया जावे । मूल प्रस्ताव पत्र में दिनांक मय वर्ष अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रीमियम राशि जमा कराने की स्थिति में भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार अग्रेषण पत्र में प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा । उक्त चालान / डी.डी. के साथ कटौती पत्र भी आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएंगे जिनमें सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के मनोनीत का नाम स्पष्टतः अंकित किया गया हो ।

उक्त प्रक्रिया का आवश्यक रूप से पालन किया जावे अन्यथा दुर्घटना की स्थिति में किसी कर्मचारी के योजना के लाभ से वंचित रहने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी ।

पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर यह योजना लागू नहीं होगी । यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12 (6) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर–ट्रेनिज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी । अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से परिशिष्ट – क फार्म भरवाकर उनके अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जावे । दिनांक 01.05.2012 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2012–13 के लिए देय प्रीमियम की राशि 220/– रू0 + 12.36% सेवाकर एकमुश्त आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जाएगी एवं कर्मचारियों से परिशिष्ट क अवश्य भरवाया जाएगा ।

जीपीए (राज्यकर्मी) से सम्बन्धित अन्य प्रक्रियाएं पूर्व वर्ष की भांति रहेगी । निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ।

प्रो रेटा आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र

$$\frac{\text{प्रीमियम} \times \text{नियुक्ति दिनांक से शेष दिनों की संख्या}}{365}$$

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : साबीनि / 2012 / दिनांक :

प्रतिलिपिः

1. समस्त संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग.................................... सम्भाग ....
2. उप /सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग जिला कार्यालय .... को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र की एक–एक प्रति अपने जिले के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों को भिजवायें । सभी जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि पॉलिसी अवधि में प्राप्त होने वाले सभी कटौती पत्र, डीडी / चालान की राशि सम्बन्धित जिले में ही जमा कराने की व्यवस्था करावें एवं अपने जिले के सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय से सम्पर्क कर इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें ।

अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर